रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4041] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 17, 2019/अग्रहायण 26, 1941
No. 4041] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 17, 2019/AGRAHAYANA 26, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4500(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3439 (अ), तारीख 12 जुलाई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को 12 जुलाई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य 0.38 426 वर्ग किलोमीटर (38.426 हेक्टेयर) के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें तीन टैंक शामिल हैं जिनमें वेट्टंगुद्दीपट्टी (18.415 हेक्टेयर), पेरियाकोलुगुडीपट्टी (13.66 हेक्टेयर) और चिन्नाकोलुगुडीपट्टी (6.351 हेक्टेयर) टैंक हैं और यह तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में अक्षांश 10°06' से 10°06'45" उ और देशांतर 78°30'15'' से 78°31'30"पू के बीच स्थित है जो शिवगंगा मुख्य शहर से 45 किलोमीटर दूर है;

और, यह अभयारण्य महत्वपूर्ण है और जलीय पक्षी जीवों के लिए जाना जाता है और 46 प्रजातियों से संबंधित 5321 पक्षियों का आश्रय स्थल है जिसे शीत ऋतु के दौरान अभिलिखित किया गया है। महत्वपूर्ण पक्षियों में व्हाइट इबिस, ब्लैक इबिस, ओपन-बिल्ड स्टोर्क, इगरेट्स, मैना, टिल, बतख, डार्टस, हेरोन्स, लिटिल कॉरमोरेंट आदि शामिल हैं। इस अभयारण्य में विश्व के विभिन्न भागों से प्रवासी पक्षियाँ मुख्य तथा भोजन के लिए आते है। यह क्षेत्र विभिन्न पक्षी-जीवों के महत्वपूर्ण और अद्वितीय पर्यावास के लिए जाना जाता है जो अधिकांश पक्षी प्रजातियों के लिए पारिस्थितिकी सतत पर्यावास प्रदान करता है। अभयारण्य में पंख वाले पक्षी अक्टूबर से फरवरी तक आते हैं। आर्द्रभूमि गहराई में अनियमित है और यदि वर्षा सामान्य है, तो 3 से 5 महीने तक जल रूका रहता है;

और, अभयारण्य मूल रूप से सिंचाई टैंक है, अभयारण्य के अंतर्गत कोई प्राकृतिक वन नहीं है। बबूल (अकासिया निलोटिका) बागान स्थापित गए थे। टैंक बांधों और फोरशोर पर अन्य प्रमुख वनस्पतियां *अकैनथोपेरमम हिसपिडम ऐसचिनोमेने असपेरे, अगेराटम कॉनीज़ोईडस, एलिसिकार्पस लांगिफोलियस, अपोनोगेटन नटान, ब्राचियारिया म्यूटिका, साइनोटिस अक्षलारिस, डैक्टिलोक्टेनियम इजिप्टियम, हाइबंथस एननेस्पर्मस, मोल्लुगो पेंटाफिला, टाइफा डोमिंगेंसिस* आदि हैं जिसका उपयोग प्रवासी पक्षियों के द्वारा रोस्टिंग और नेस्टिंग के लिए किया जाता है जैसे *अंहिन्गा मेलानोगैस्टर, बुबुलकस इबिस, कोरासियस बेंघालेंसिस, नाइक्टिकोरेक्स नाइक्टिकोरेक्स, थ्रेस्किओरनिस मेलानोसेफालस, माइक्रोकारबो निगर* है;

और, अभयारण्य में पक्षी-जीवों की 46 प्रजातियां 38.426 हेक्टेयर में फैले छोटे टैंक में रहने और वास करने आती है। सामान्य प्रजातियां *एकरिडोथेरेस ट्रिसटिस, अमौरोरनिस फोनिकुरुस, अंहिन्गा मेलानोगैस्टर, बुबुलकस इबिस, कोरासिअस बेंघालेंसिस, करवस स्पलेंडेन्स, एगरेट्टा गरज़ेट्टा, एगरेट्टा इंटरमिडिया* हैं। उचित प्रबंधन उपाय करने से अधिक प्रजनन प्रजातियाँ और शीतकाल के दौरान अधिक प्रजनन प्रजातियां यहां आ सकती हैं;

और, अभयारण्य में वनस्पति और जीवजन्तु की विविधता है जिसमें पक्षी, कीड़े-मकोड़े, तितलियां, सरीसृप, उभयचर आदि शामिल हैं। पक्षियों के उदाहरण सामान्य मैना (*एसिडोथेरेस ट्रिस्टिस लिनिअस*), कॉमन किंगफिशर (*एल्सेडो एथिस लिनिअस*), व्हाइट ब्रेस्टेड वॉटरन (*एमोरोरॉन्निस फीनिक्यूरस पेनेंट*), स्पॉट-बिल डक (*अनास पोसीलोरिंका*), एशियाई ओपनबिल (*अनास्टोमस ऑसीटान्स बोडडार्ट*), डार्टर (*अनिंगा मेलानोग्स्टर पेनेंट*), इंडियन पॉण्ड-हेरॉन (*आर्देओला ग्रेई साइक्स*), मवेशी एगरेट (*बुबुलकस इबिस लिनिअस*) आदि हैं; सरीसृपों के उदाहरण हाउस गेको (*हेमिडैक्टिलसफ्रेनैटस*), स्पॉटेड इंडियन गेको (*हेमिडैक्टिलसब्रुकि*), गार्डन लिजार्ड (*कैलोटेर्सिकोलोर*), ग्रीन लिजार्ड (*कैलोसाइट्सकोटर*) आदि और कॉमन इंडियन टोड (*दत्ताफ्राइनुसमेलानोस्टिक्टस*), ऑर्नेट नारो मॉथेड फ्रॉग (*माइक्रोहोलार्ननाटा*), कॉमन स्कीटरिंग मेंढक (*यूप्लिक्टिसिसीनोफ्लिक्टिस*) आदि हैं; पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 520 है। अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं और दैनिक मजदूर का कार्य करते है;

और, वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योग या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमे इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर एक किलोमीटर (समरुप) तक विस्तारित क्षेत्र को वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रुप में यह अधिसूचना किया गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य के चारों ओर एक किलोमीटर (समरुप) है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 7.423 वर्ग किलोमीटर है।

 (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

 (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध II क-ड.** में है।

 (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमश: **उपाबंध III सारणी (क)** और (**ख)** में है।

 (5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को विचार करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्गों ; और

(xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में वन रहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और पैराग्राफ 4 में सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमे स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना

अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ 4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा करके इस रीति से बनाए जाऐंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य विभाग के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी अधिक निकट हो किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.– तमिलनाडु राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को क्रियान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए उपाबंधों के अनुसार संकलित किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और पर्यावरण अधिनियम अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात.-** यानीय-यातायात को पर्यावास-अनुकूल रीति से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार यानीय-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी । (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी:

		जब तक, कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्ठों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परन्तु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित

		उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा ।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी अवसंरचना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा और क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारिगरों सहित कुटीर उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	अवक्रमित भूमि या वनों या पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	जिला कलक्टर, शिवगंगा	अध्यक्ष;
2.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक जैवविविधता विशेषज्ञ	सदस्य;
4.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाल एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण विशेषज्ञ	सदस्य;
5.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
7.	जिला वन अधिकारी, शिवगंगा	सदस्य सचिव।

IndiaCode

6. संदर्भ के निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, किंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पणधारियों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/14/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

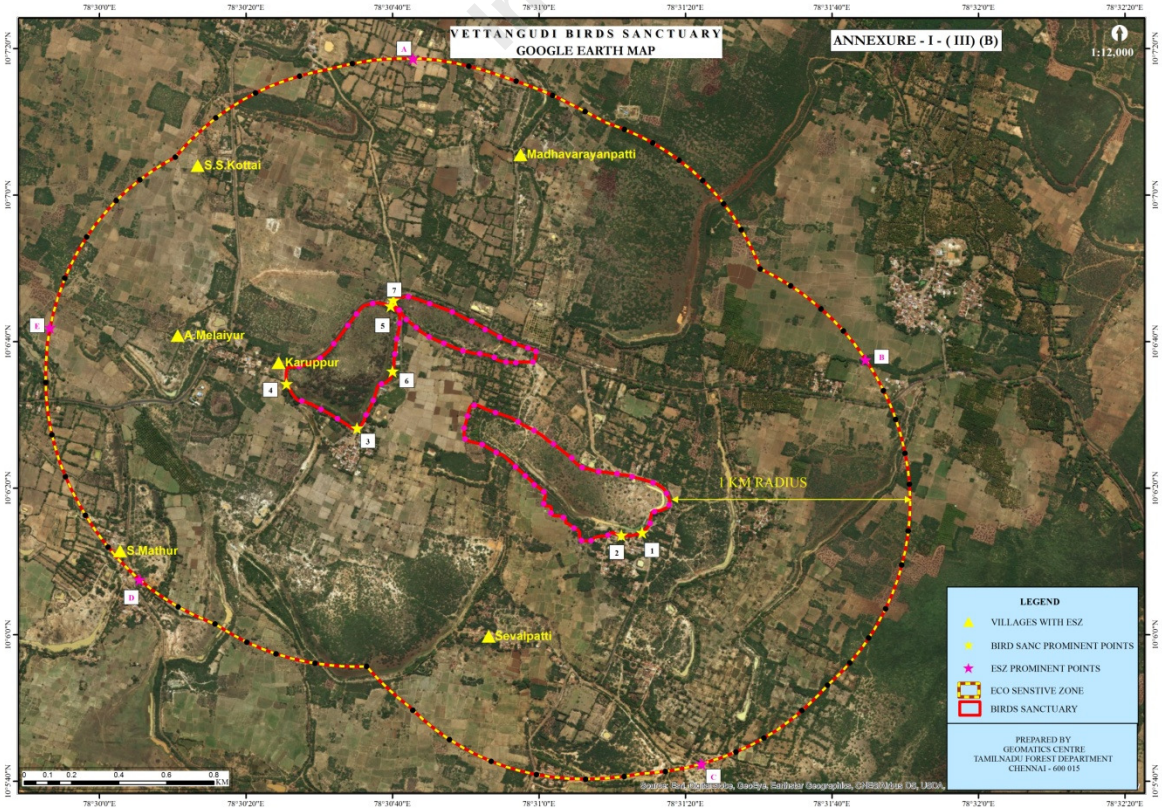
उत्तर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा उत्तरी दिशा में वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी में आय्यापट्टी, माधवरायानपट्टी ग्रामों की सीमाएं निकटवर्ती ग्रामों से होते हुए जाती है।
उत्तर पूर्व	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा उत्तर पूर्वी दिशा में वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी में मुथियाह नगर कृष्नानपट्टी ग्रामों की सीमाएं निकटवर्ती ग्रामों से होते हुए जाती है।
पूर्व	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा इसके बाद पूर्वी दिशा में आड़े तिरछे ढंग में वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी में करुप्पुर ग्राम की सीमाएं निकटवर्ती ग्रामों से होते हुए जाती है।

IndiaCode

दक्षिण पूर्व	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा इसके बाद दक्षिण पूर्वी दिशा में आड़े तिरछे ढंग में वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी में परुथीयेनदेल पट्टी और चिट्टापट्टी ग्रामों की सीमाएं निकटवर्ती ग्रामों से होते हुए जाती है।
दक्षिण	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा इसके बाद दक्षिणी दिशा में आड़े तिरछे ढंग में वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी में सेवलपट्टी ग्राम की सीमाएं निकटवर्ती ग्रामों से होते हुए जाती है।
दक्षिण पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा इसके बाद दक्षिण पश्चिमी दिशा में आड़े तिरछे ढंग में वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी में पुधुपट्टी और एस. एस. कोट्टई ग्रामों की सीमाएं निकटवर्ती ग्रामों से होते हुए जाती है।
पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा इसके बाद पश्चिमी दिशा में आड़े तिरछे ढंग में वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी में एस. माथुर, कोट्टईपट्टी ग्रामों की सीमाएं निकटवर्ती ग्रामों से होते हुए जाती है और उत्तरी सीमा से मिलती है।
उत्तर पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा इसके बाद पश्चिमी दिशा में आड़े तिरछे ढंग में वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी में एस. कोट्टईपट्टी ग्राम की सीमाएं निकटवर्ती ग्रामों से होते हुए जाती है और उत्तरी सीमा से मिलती है।

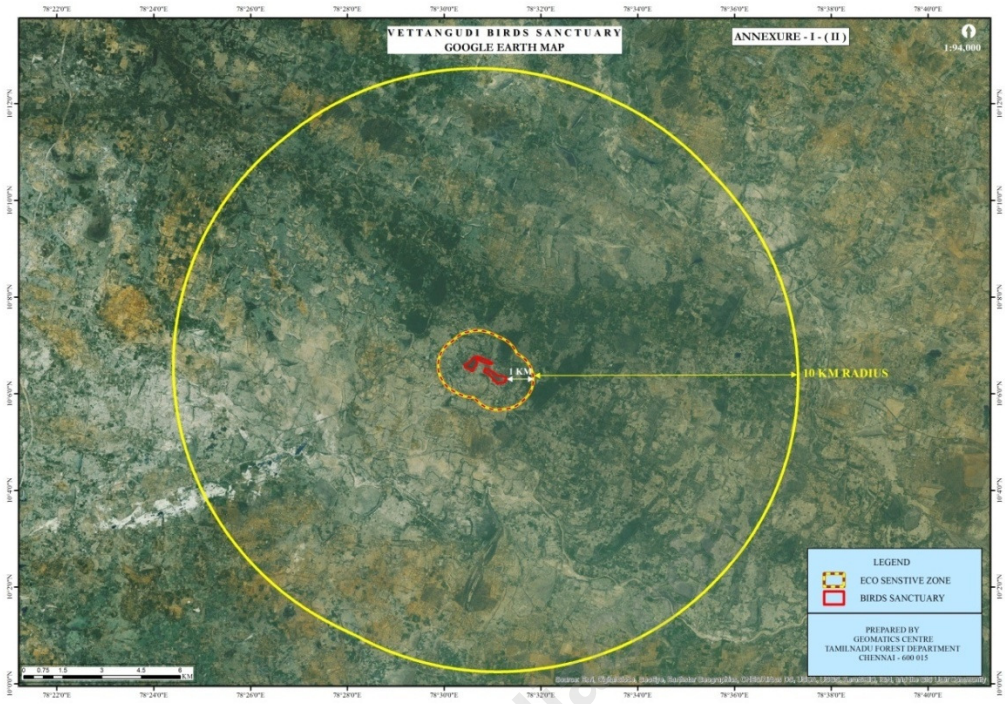
उपाबंध – II क

वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



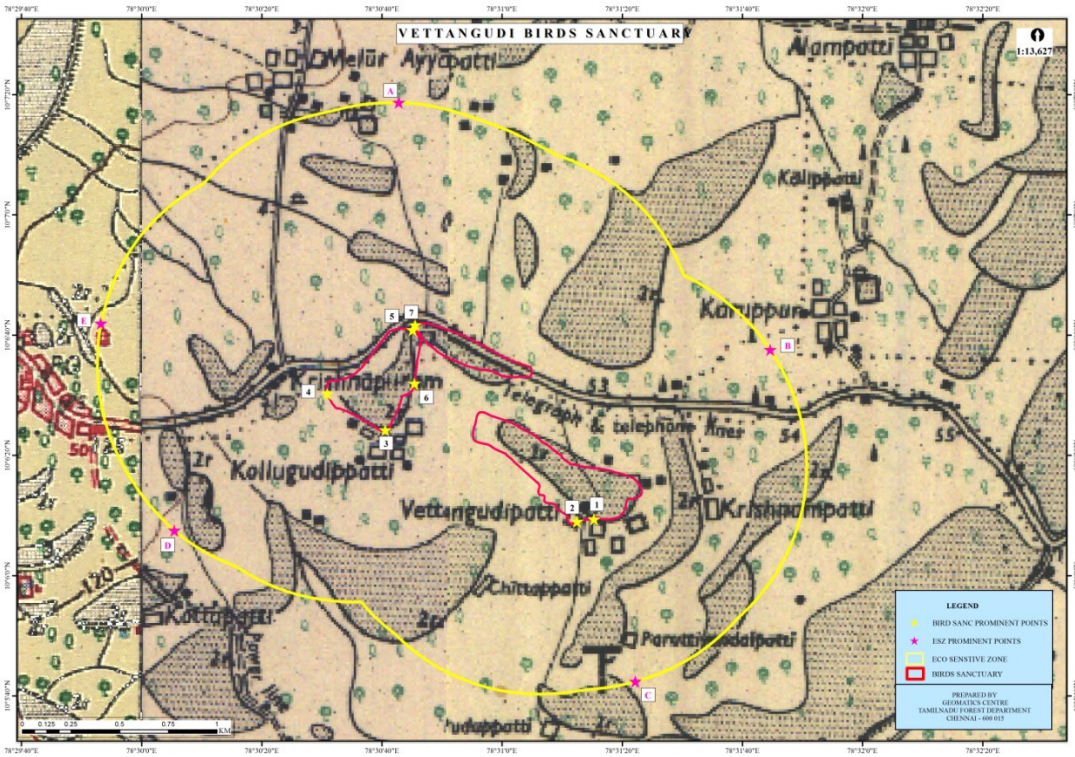
उपाबंध – IIख

वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



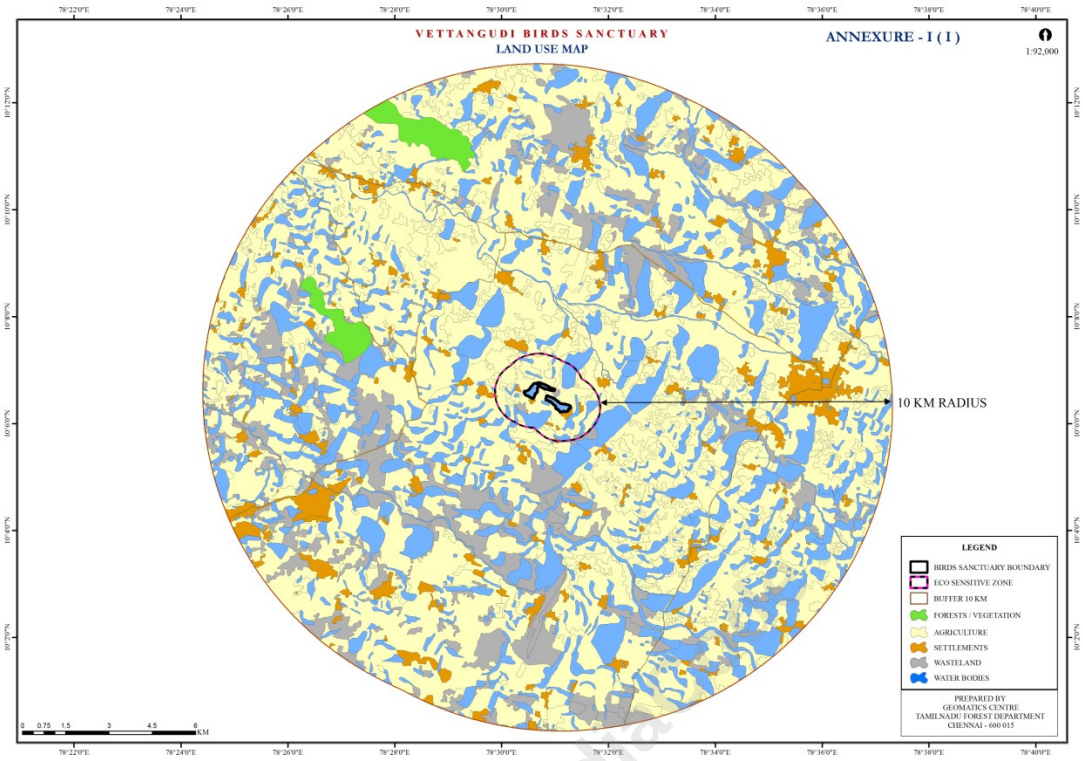
उपाबंध – IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र



उपाबंध – IIघ

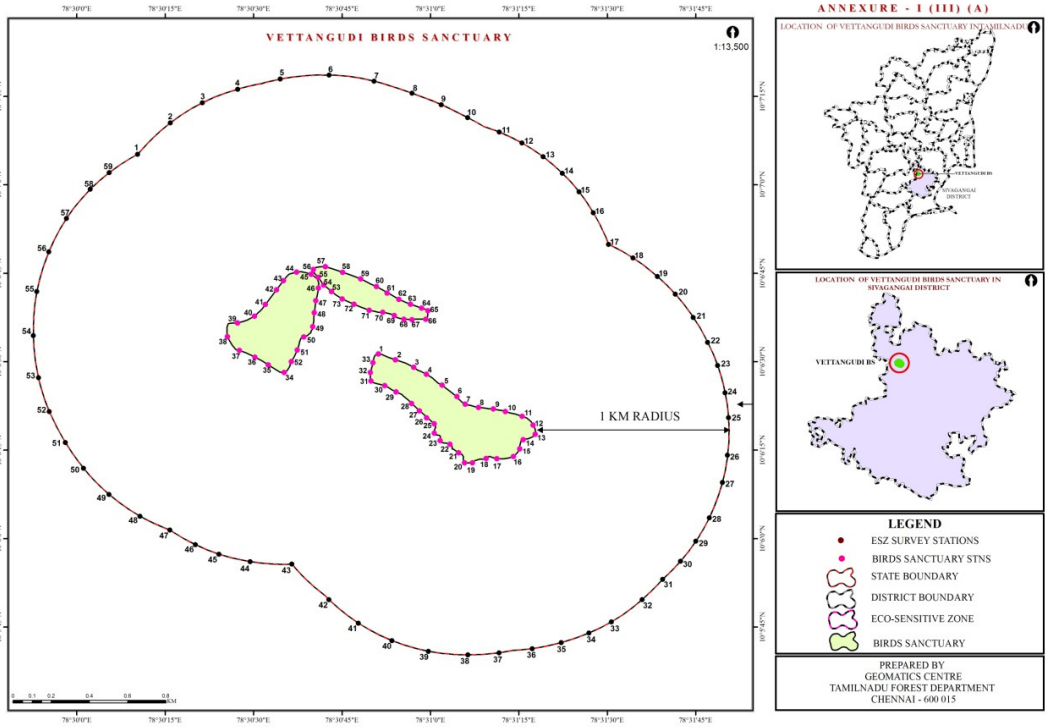
10 किलोमीटर बफर क्षेत्र के साथ वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग मानचित्र



India

उपाबंध- IIड.

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु की अवस्थिति या दिशा	अक्षांश (उ) डिग्री मिनट सेकेण्ड प्रारूप	देशांतर (पू) डिग्री मिनट सेकेण्ड प्रारूप
1.	1	द पू	10°6´13.5648"	78°31´12.7488"
2.	2	द	10°6´13.5864"	78°31´11.2908"
3.	3	द	10°6´28.206"	78°30´35.208"
4.	4	द प	10°6´34.2612"	78°30´25.5672"
5.	5	उ	10°6´44.8812"	78°30´39.762"
6.	6	केन्द्र	10°6´35.964"	78°30´40.0464"
7.	7	उ	10°6´45.666"	78°30´40.1616"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु के अवस्थिति या दिशा	अक्षांश (उ) डिग्री मिनट सेकेण्ड प्रारूप	देशांतर (पू) डिग्री मिनट सेकेण्ड प्रारूप
1.	1	उत्तर	10°7´17.6304"	78°30´50.4432"
2.	2	पूर्व	10°6´33.3216"	78°31´47.0712"
3.	3	दक्षिण	10°5´41.3448"	78°31´17.2812"
4.	4	पश्चिम	10°6´11.9664"	78°30´1.1556"
5.	5	उत्तर पश्चिम	10°6´48.6828"	78°29´55.2588"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ वेट्टंगुडी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तालुक	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1.	सट्टुरुसंकाराकोट्टई	थिरुप्पथुर	शिवगंगा	10.112139	078.490542
2.	मधावारायानपट्टी	थिरुप्पथुर	शिवगंगा	10.128136	078.520142
3.	अलामपट्टी	थिरुप्पथुर	शिवगंगा	10.125139	078.534369
4.	करुपुर	थिरुप्पथुर	शिवगंगा	10.110317	078.506794
5.	सेवलपट्टी	थिरुप्पथुर	शिवगंगा	10.083942	078.511611
6.	कोट्टईपट्टी	थिरुप्पथुर	शिवगंगा	10.107592	078.504258

7.	एस. माथुर	थिरुप्पथुर	शिवगंगा	10.083706	078.495311
8	कोल्लुकुदीपट्टी	थिरुप्पथुर	शिवगंगा	10.113219	078.511567
9	वेट्टंगुडीपट्टी	थिरुप्पथुर	शिवगंगा	10.103750	078.520611

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2019

S.O. 4500(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3439(E) dated the 12th July, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 12th July, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Vettangudi Birds Sanctuary is spread over an area of 0.38 426 square kilometres (38.426 ha) and comprises of three tanks namely Vettangudipatti (18.415 ha), Periyakollugudipatti (13.66 ha) and Chinnakollugudipatti (6.351 ha) tanks and is located between 10°06' to 10°06'45" N latitude and 78°30'15'' to 78°31'30" E longitude in Sivaganga District of Tamil Nadu which is 45 kilometres away from Sivaganga main town;

AND WHEREAS, this Sanctuary is important and known for aquatic avifauna harbouring nearly 5321 birds belonging to 46 species, recorded during winter season. The important birds include white ibis, black ibis, open-billed stork, egrets, mynas, teals, ducks, darters, herons, little cormorant etc. The Sanctuary attracts different species of migratory birds from various parts of the world which come primarily for feeding purposes. The area is an important and unique habitat known for varied avian fauna which provides an ecologically sustainable habitat for majority bird species. The feathered visitors flock the Sanctuary from October to February. The wetland is irregular in depth and retains water for 3 to 5 months, if rain is normal;

AND WHEREAS, as the Sanctuary is basically an irrigation tank, there is no natural forest within the Sanctuary. Babul (*Acacia nilotica)* plantations were raised. The other major flora on the tank bunds and foreshore are *Acanthospermum hispidum Aeschynomene aspera, Ageratum conyzoides, Alysicarpus longifolius, Aponogeton natans, Brachiaria mutica, Cyanotis axillaris, Dactyloctenium aegyptium, Hybanthus enneaspermus, Mollugo pentaphylla , Typha domingensis* etc which are used for roosting and nesting by the migratory birds like *Anhinga melanogaster, Bubulcus ibis, Coracias benghalensis, Nycticorax nycticorax, Threskiornis melanocephalus, Microcarbo niger,* etc*;*

AND WHEREAS, the Sanctuary has 46 species of avian fauna visiting and residing in this small tank spread over 38.426 ha. The common species are *Acridotheres tristis, Amaurornis phoenicurus, Anhinga melanogaster, Bubulcus ibis, Coracias benghalensis, Corves splendens, Egretta garzetta, Egretta intermedia.* Proper successful management measures may attract more breeding species and wintering species;

AND WHEREAS, the Sanctuary has diversity of flora and fauna including birds, insects, butterflies, reptiles, amphibians etc. Example of birds are common myna *(Acridotheres tristis* Linnaeus*),* common kingfisher *(Alcedo atthis* Linnaeus*),* white-breasted waterhen *(Amaurornis phoenicurus* Pennant*),* spot-bill duck *(Anas poecilorhyncha),* Asian openbill *(Anastomus oscitans* Boddaert*),* darter *(Anhinga melanogaster* Pennant*),* Indian pond-heron *(Ardeola grayii* sykes*),* cattle egret *(Bubulcus ibis* Linnaeus*)* etc. and examples of reptiles are house gecko *(Hemidactylus frenatus),* spotted Indian gecko *(Hemidactylus brookii),* garden lizard *(Calotes versicolor),* green lizard *(Calotes calotes),* etc. and Common Indian Toad *(Duttaphrynus melanostictus),* Ornate Narrow mouthed frog *(Microhyla ornata),* common skittering frog *(Euphlyctis cyanophlyctis),* etc. The population of the Eco-sensitive Zone area is around 520 numbers. Most of the people depend on agriculture and the remaining work in the agricultural fields as daily wage workers;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Vettangudi Birds Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent of one kilo meter (uniform) around the boundary of Vettangudi Birds Sanctuary in the State of Tamil Nadu as the Vettangudi Birds Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. -** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of one kilometer (uniform) around the Vettangudi Birds Sanctuary. The area of the Eco-sensitive Zone is 7.423 square kilometers.

 (2) The extent and boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended at **Annexure I.**

 (3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure IIA-E.**

 (4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-sensitive Zone is at **Annexure III (A)** and **(B)** respectively.

 (5) The list of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. -** (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

 (2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways; and

(xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs/ rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) New construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based

on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - The Environment Department of the State Government or Tamil Nadu State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental Act, and the rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste. - Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution. -** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel like CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980, the Indian Forest Act, 1927, the Wildlife (Protection) Act, 1972, and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. **Prohibited Activities**		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs UOI in W.P. (C) No. 202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	New commercial hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the central Pollution Control Board in February,

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		2016 and non-hazardous, small scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Establishment of large scale commercial live stock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated as per the applicable laws. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying above the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose as per the applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.

IndiaCode

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land or Forests or Habitats.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following namely:-

1.	The District Collector, Sivaganga	Chairman, ex officio;
2.	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
3.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
4.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
5.	A representative from State Public Works Department	Member;

6.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
7.	District Forest Officer, Sivaganga	Member- Secretary.

6. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the Hon'ble High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/14/2018-ESZ]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

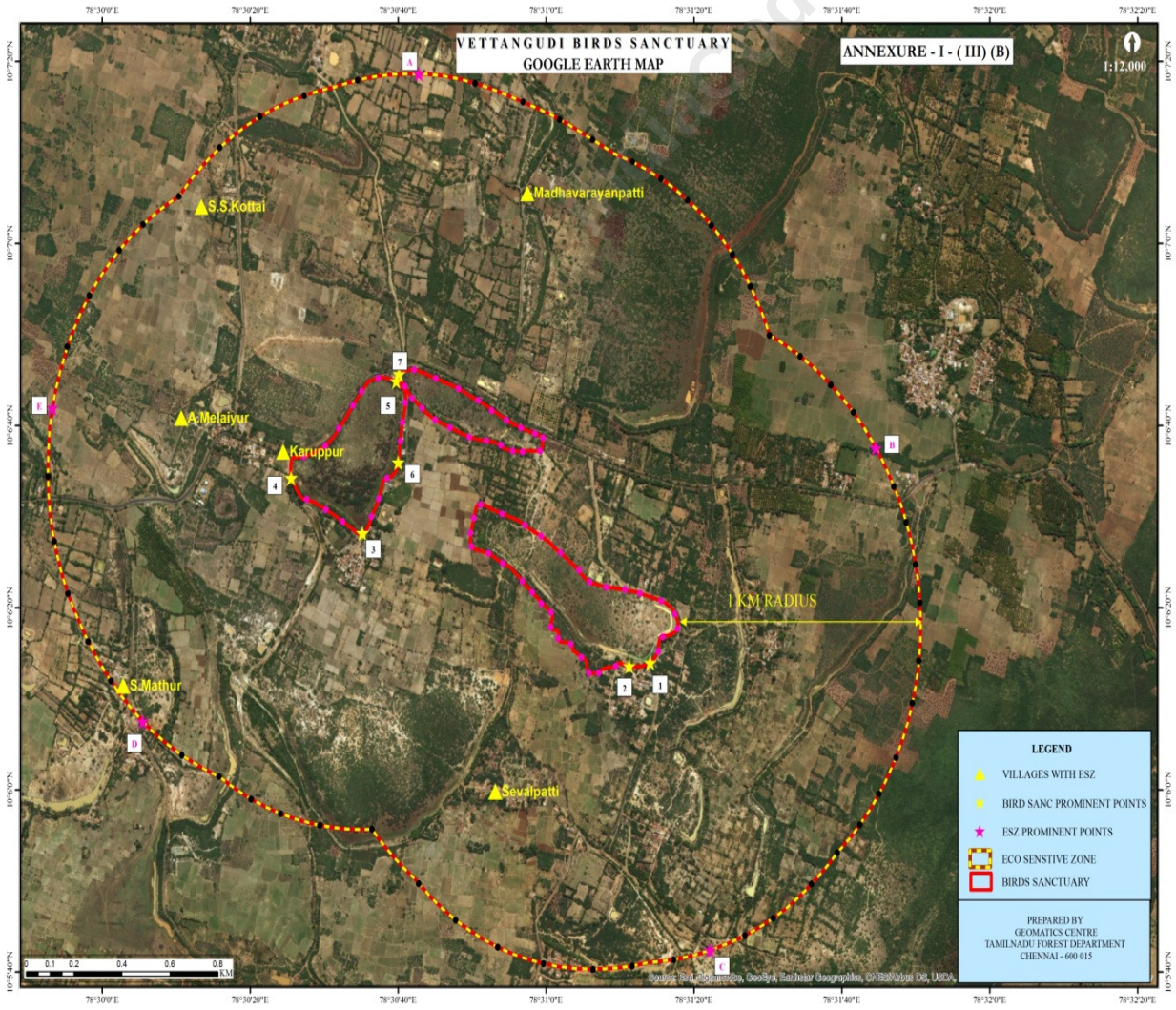
BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	The boundary of the Eco-sensitive Zone on the northern side through the villages adjacent to the boundaries of the ayyapatti, Madhvarayanpatti, villages at a distance of one km from the boundary of the Vettangudi Birds Sanctuary.
North East	The boundary of the Eco-sensitive Zone on the north eastern side through the villages adjacent to the boundaries of the Muthiah Nagar Krishnanpatti villages at a distance of one km from the boundary of the Vettangudi Birds Sanctuary
East	The boundary of the Eco-sensitive Zone then traverses on the eastern side through the villages adjacent to the boundaries of the Karuppur village at a distance of one km from the boundary of the Vettangudi Birds Sanctuary.
South East	The boundary of the Eco-sensitive Zone then traverses on the south eastern side through

	the villages adjacent to the boundaries of the Paruthiyendal Patti and Chittapatti villages at a distance of one km from the boundary of the Vettangudi Birds Sanctuary.
South	The boundary of the Eco-sensitive Zone then traverses on the southern sidethrough the villages adjacent to the boundaries of the Sevalpatti village at a distance of one km from the boundary of the Vettangudi Birds Sanctuary.
South West	The boundary of the Eco-sensitive Zone then traverses on the south westen side through the villages adjacent to the boundaries of the Pudhupatti and S.S.Kottai villages at a distance of one km from the boundary of the Vettangudi Birds Sanctuary
West	The boundary of the Eco-sensitive Zone then traverses on the western side through the villages adjacent to the boundaries of the, S.Mathur,Kottaipatti villages at a distance of one km from the boundary of the Vettangudi Birds Sanctuary and meets the northern boundary.
North West	The boundary of the Eco-sensitive Zone then traverses on the western side through the villages adjacent to the boundaries of the, Kottaipatti village at a distance of one km from the boundary of the Vettangudi Birds Sanctuary and meets the northern boundary.

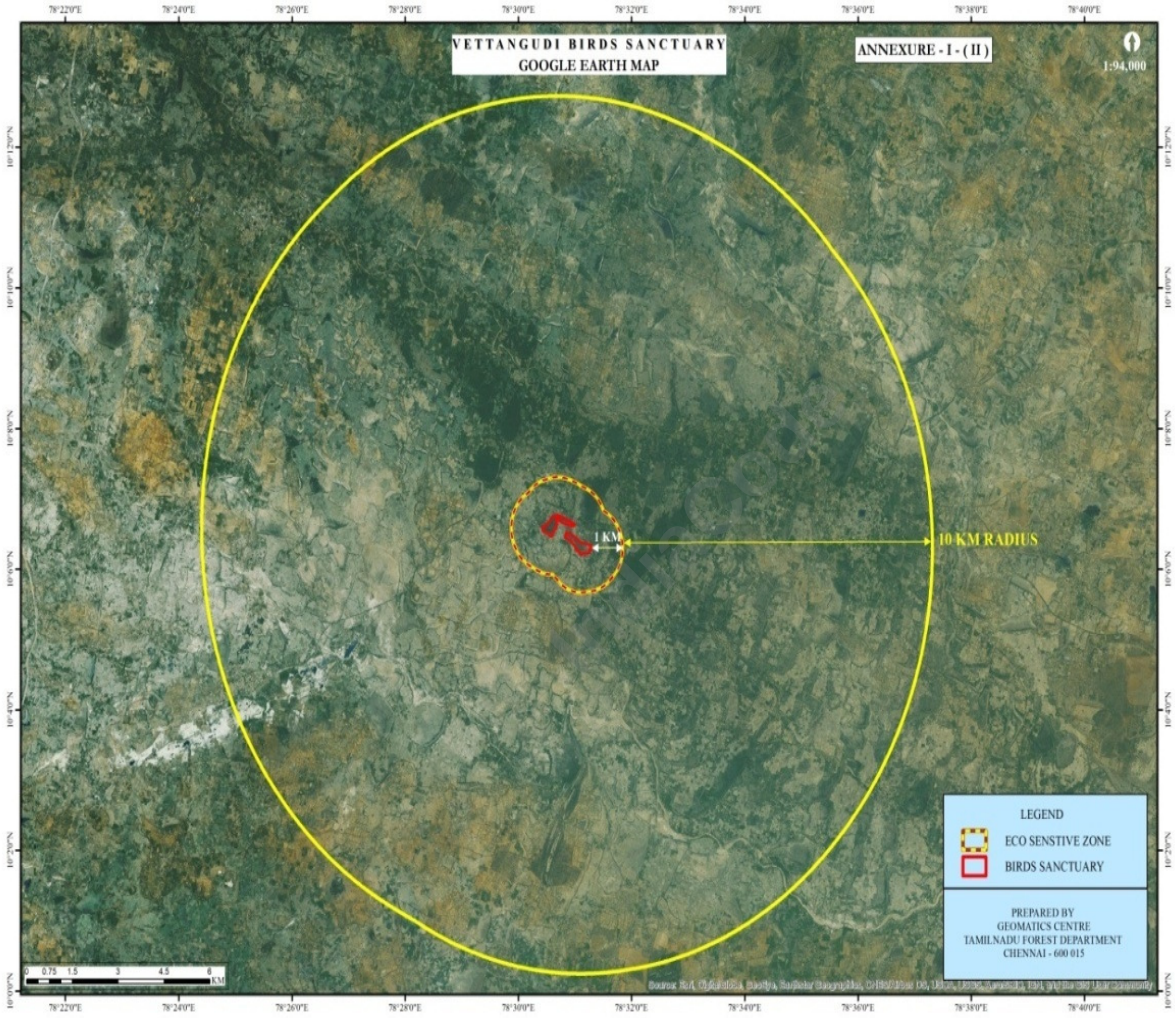
ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VETTANGUDI BIRDS SANCTUARY



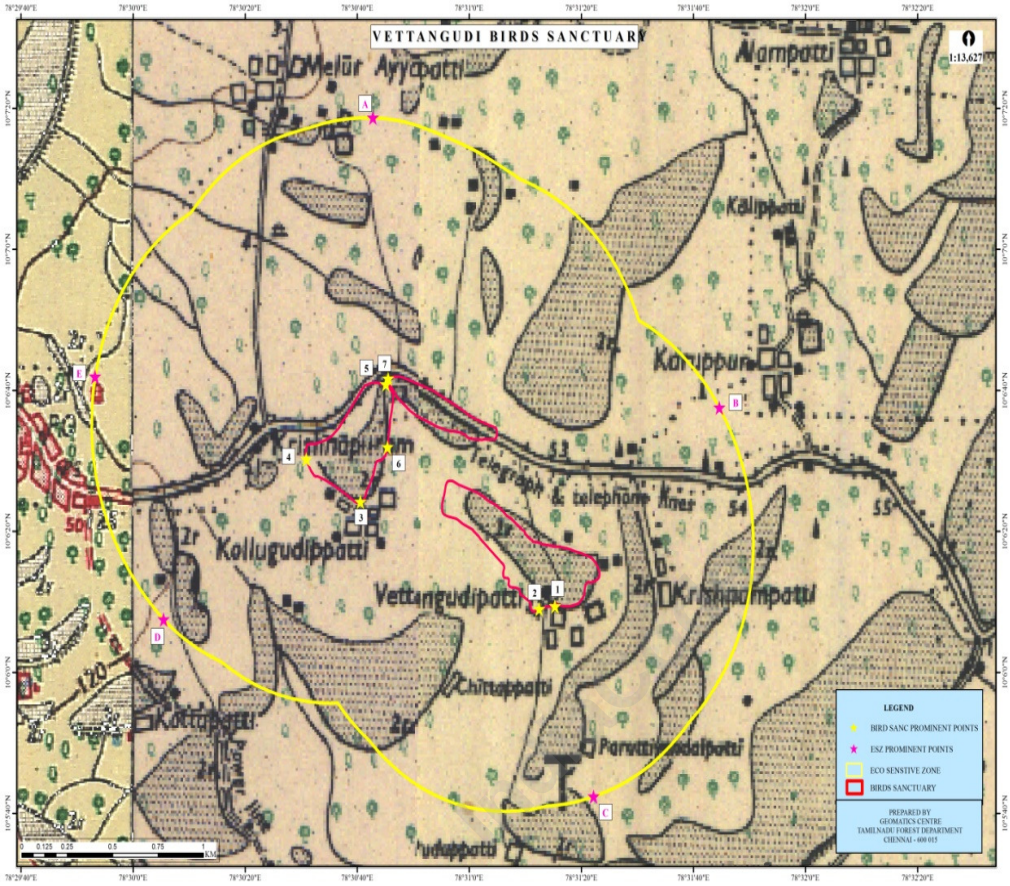
ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VETTANGUDI BIRDS SANCTUARY



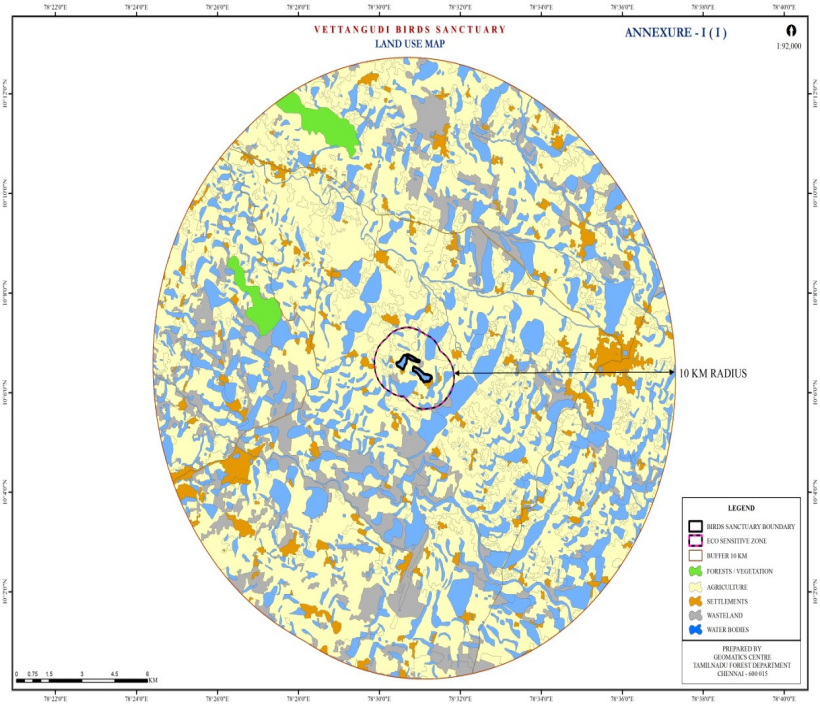
ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VETTANGUDI BIRDS SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



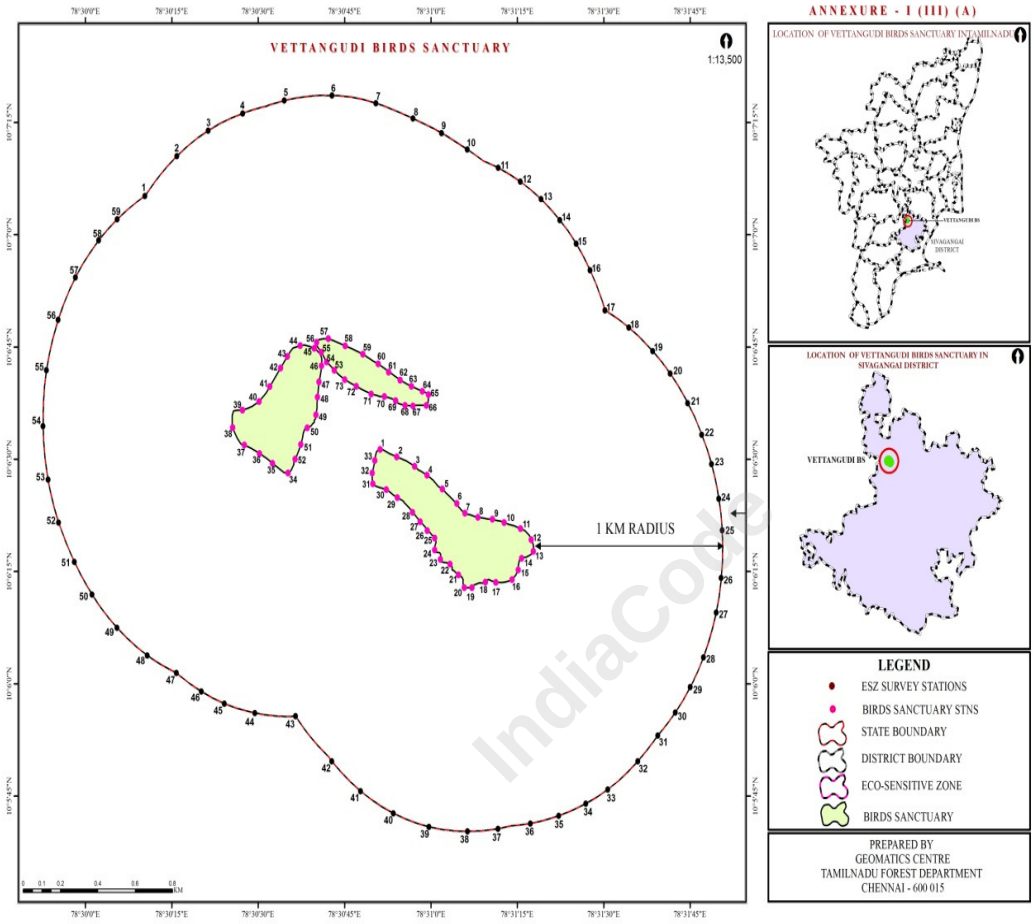
ANNEXURE- IID

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VETTANGUDI BIRDS SANCTUARY ALONG WITH 10 KM BUFFER



ANNEXURE- IIE

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VETTANGUDI BIRDS SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS OF VETTANGUDI BIRD SANCTUARY, TAMIL NADU

S. No.	Identification of prominent points	Location or Direction of Prominent Point	Latitude (N) Degree Minute Second format	Longitude (E) Degree Minute Second format
1.	1	SE	10°6´13.5648"	78°31´12.7488"
2.	2	S	10°6´13.5864"	78°31´11.2908"
3.	3	S	10°6´28.206"	78°30´35.208"
4.	4	SW	10°6´34.2612"	78°30´25.5672"
5.	5	N	10°6´44.8812"	78°30´39.762"
6.	6	Center	10°6´35.964"	78°30´40.0464"
7.	7	N	10°6´45.666"	78°30´40.1616"

TABLE B: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

S. No.	Identification of prominent points	Location or Direction of Prominent Point	Latitude (N) Degree Minute Second format	Longitude (E) Degree Minute Second format
1.	1	North	10°7´17.6304"	78°30´50.4432"
2.	2	East	10°6´33.3216"	78°31´47.0712"
3.	3	South	10°5´41.3448"	78°31´17.2812"
4.	4	West	10°6´11.9664"	78°30´1.1556"
5.	5	North West	10°6´48.6828"	78°29´55.2588"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF VETTANGUDI BIRDS SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No	Village Name	Taluk	District	Latitude (N) Degree Minute Second format	Longitude (E) Degree Minute Second format
1.	SatturuSankaarakottai	Thiruppathur	Sivaganga	10.112139	078.490542
2.	Madhavarayanpatti	Thiruppathur	Sivaganga	10.128136	078.520142
3.	Alampatti	Thiruppathur	Sivaganga	10.125139	078.534369
4.	Karupur	Thiruppathur	Sivaganga	10.110317	078.506794
5.	Sevalpatti	Thiruppathur	Sivaganga	10.083942	078.511611
6.	Kottaipatti	Thiruppathur	Sivaganga	10.107592	078.504258
7.	S.Mathur	Thiruppathur	Sivaganga	10.083706	078.495311
8	Kollukudipatti	Thiruppathur	Sivaganga	10.113219	078.511567
9	Vettangudipatti	Thiruppathur	Sivaganga	10.103750	078.520611

ANNEXURE-V

Performa of Action Taken Report: -

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-Sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.19 19:42:48 +05'30'